



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 18.09.2025

- ❖ अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही।
- ❖ थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा ₹ 25,000 के पुरस्कार घोषित अपराधी को किया गया गिरफ्तार।
- ❖ थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 238/2018 धारा 147/148/304/308/324/504/506 भादवि0 व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त पर पुरस्कार घोषित किया गया था।

कृपया सादर अवगत कराना है, कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम, खुलासे, वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना सिकन्दरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 238/2018 धारा 147/148/304/308/324/504/506 भादवि0 व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त सोनू पुत्र इदरीस खां निवासी ग्राम मिरगांव थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात की गिरफ्तारी न हो पाने के कारण पुलिस अधीक्षक, जनपद कानपुर देहात द्वारा अपराधी के पुरस्कार की धनराशि ₹ 10,000 से बढ़ाकर ₹ 25,000 घोषित किया गया था। जिसमें थाना सिकन्दरा पुलिस कार्यवाही करते हुए, मुखबिरखास की सूचना पर ₹ 25,000 के पुरस्कार घोषित अपराधी सोनू पुत्र इदरीस खां निवासी ग्राम मिरगांव, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 18.09.2025 को संदलपुर रोड गुरदही बुजुर्ग मोड, बम्बा पुलिया थाना सिकन्दरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू पुत्र इदरीस खां, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी ग्राम मिरगांव, थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 238/2018 धारा 147/148/304/308/324/504/506 भादवि0 व 3(2)v एससी/एसटी एक्ट थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 287/2019 धारा 174ए भादवि0 थाना सिकन्दरा, जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना सिकन्दरा पुलिस